बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

पत्रांक – ICDS/40020/01-2012/ 3610 दिनांक – 09/10/2012

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा.रा.से.,
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषयः– **राज्य के ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन वार्ड के आधार पर करने के संबंध में।**

प्रसंग – **(i) समाज कल्याण विभाग का पत्रांक ICDS/40020/01-2012/ 3609 दिनांक 09/10/2012**
(ii) निदेशालय के पत्रांक ICDS/40020/01-2012/ 622 दिनांक 16.02.2012

महाशय,

समाज कल्याण विभाग के प्रासंगिक पत्र (i) द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर,2012 के प्रभाव से राज्य के सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों के पोषक क्षेत्र का परिसीमन पंचायत वार्डो से सहसीमांत कर दिया गया है। इस परिसीमन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा प्रासंगिक पत्र (ii) के माध्यम से पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. दिशा–निर्देश की कंडिका A तथा B (v) के अनुसार प्रथम चरण में वार्ड की जनसंख्या कितनी भी हो – वहॉ एक से ज्यादा ऑगनवाड़ी केन्द्र नही रखा जायेगा। वार्ड आधारित परिसीमन की प्रगति की समीक्षा के दौरान इस बिन्दू पर पुर्नविचार किया गया है और निम्नलिखित निदेश दिये जाते है –

- प्रारंभिक दौर में ऐसे पंचायत वार्ड जहॉ की जनसंख्या 1600 से अधिक है तथा इस वार्ड में पूर्व से एक से अधिक ऑगनवाड़ी केन्द्र संचालित है तब ऐसे वार्डो में इन केन्द्रों को संचालित रहने दिया जायेगा।
- ऑगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या वार्डो की संख्या से कम होने के कारण ऐसे कई वार्ड होगे जहॉ पर ऑगनवाड़ी केन्द्र संचालित नही होगा। ऐसे केन्द्रों को पास के वार्ड के केन्द्र से टैग कर दिया जायेगा। अगले दौर में भारत सरकार से अतिरिक्त ऑगनवाड़ी केन्द्रों के आवंटन के पश्चात् ऐसे वार्डो में भी ऑगनवाड़ी केन्द्र खोले जायेगे।

3. उपरोक्त बिन्दूओं के अलावा वार्ड आधारित परिसीमन हेतु पूर्व से निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन
9/10/12
(प्रवीण किशोर)
निदेशक

पत्रांक – ICDS/40020/01-2012 3610 दिनांकः– 09/10/2012

प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों तथा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक